भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1929**

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

**सड़क निर्माण की गुणवत्ता संबंधी दिशानिर्देश**

1929. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार सड़क निर्माण कम्पनियों को काली सूची में डालने के अलावा उन पर लागत की वसूली या सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति जैसी जवाबदेही भी अधिरोपित करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं (कोड्स) में विनिर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए गए हों। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थल (साइट) पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा परामर्शदाता (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर-एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2023 के लिए सरकार द्वारा "भारत में सड़क दुर्घटनाओं" पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई-कारणों से होती हैं और यह विभिन्न पारस्परिक कारकों के परिणामस्वरूप घटित होती हैं। इन्हें मोटे तौर पर (i) मानव त्रुटि, (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहन की दशा में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में सड़कों की घटिया गुणवत्ता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि, पूरे देश में कुल 4,80,583 दुर्घटनाओं में से सभी श्रेणियों की सड़कों (एनएच सहित) पर गड्ढों के कारण 5,840 दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

i. जारी की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाने के लिए नीति;

ii. सभी एनएच और एक्सप्रेसवे कार्यों के पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह माह में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन करना अनिवार्य है, जिसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। समर्पित केंद्रीय सेल के माध्यम से संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करके सड़क की दशा के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली का पुनरूद्धार किया गया है;

iii. राजमार्ग दोषों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो तस्वीरों (फोटो) के साथ दोषों की जियो-टैगिंग करता है;

iv. चल रहे एनएच कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्र की गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का समय-समय पर विश्लेषण;

v. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के निदान मूल्यांकन के लिए चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में पायलट आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वीएएन (एमक्यूसीवी) की तैनाती। कुछ और राज्यों में इस पहल में विविधता लाने का निर्णय लिया गया है;

vi. एनएच कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा के लिए मामला-दर-मामला आधार पर तीसरे पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

किसी भी चूक के मामले में, चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। क्षति/घटिया कार्यों के लिए चूककर्ता एजेंसियों को निषिद्ध (डिबार) / ब्लैकलिस्ट करने के अलावा, ठेकेदार पर दंड/निर्णित हर्जाना भी लगाया जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क की उप-धारा (1) में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित, ऐसे डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानकों का अनुपालन करने के लिए सड़क के सुरक्षा मानकों के डिजाइन या निर्माण या रखरखाव के लिए उत्तरदायी किसी भी नामित प्राधिकारी, ठेकेदार, परामर्शदाता या रियायतग्राही का प्रावधान है। सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफलता के मामले में, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या विकलांगता होती है, तो नामित प्राधिकारी, ठेकेदार, परामर्शदाता या रियायतग्राही पर इस अधिनियम की धारा 164ख के तहत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि को देय एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

*****